इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मई 2020—ज्येष्ठ 2, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 23 मई 2020

क्र.—सात—ठेका—2020—21—789.— ग्वालियर : सार्वजनिक की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2020—21 के लिये, अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये, राज्य की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह/एकल समूहों के निष्पादन बाबत मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 में प्रकाशित व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है।

संशोधन

1. कंडिका 16.6 के पश्चात नवीन कंडिका 16.7 निम्नानुसार स्थापित की जाती है :—

"16.7 वर्ष 2020—21 का ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी निजी स्वामित्व की अथवा फर्म के भागीदार/कम्पनी के संचालक/शेयर होल्डर के रूप में आंशिक स्वामित्व की एक भी मदिरा दुकान/समूह/एकल समूह की अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण अथवा पुनर्निष्पादन के आदेश राज्य के किसी भी जिले में किये गये हो, वह मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में संचालित मदिरा दुकान/समूह/एकल समूह के लिये नवीनीकरण/लॉटरी/ई—टेण्डर अथवा किसी भी अन्य रीति से वर्ष 2020—21 की आबकारी नीति (मूल एवं संशोधित) के अंतर्गत निष्पादन/पुनर्निष्पादन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपात्र होगा"

2. कंडिका 25.1 में अंकित "15 प्रतिशत" को "25 प्रतिशत" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. कंडिका 25.2 में अंकित "10 प्रतिशत" को "20 प्रतिशत" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. कंडिका 31.4, 31.5, 32.3 एवं 32.5 में जहां–जहां 03 कार्यकारी दिवस अंकित है, वहां 07 कार्यकारी दिवस तथा जहां–जहां 05 कार्यकारी दिवस अंकित है वहां 10 कार्यकारी दिवस प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. कंडिका क्रमांक 44 के अंत में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाता है :–

"परन्तु यदि आबकारी आयुक्त ऐसा उचित समझे तो मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ अथवा उसके स्थान पर ऐसी रीति से जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्धारित करे किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि यदि जिला समिति ऐसा उचित समझे तो पुनर्निष्पादन की प्रकिया के दौरान मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूह के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकेगा।"

6. कंडिका क्रमांक 69 के पश्चात् निम्नांकित कंडिका स्थापित की जाती हैं :–

"70. **वर्ष 2020–21 के अनुज्ञप्तिधारियों को उनकी ठेका अवधि दिनांक 31.05.2021 तक बढ़ायी जाने का विकल्पः–**

कोविड–19 के कारण उद्भूत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2020–21 के अनुज्ञप्तिधारियों को उनकी ठेका अवधि दिनांक 31.05.2021 तक बढ़ाये जाने का विकल्प दिया जाता है। यदि इस विकल्प के चयन हेतु कोई अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारुप में अपना सहमति आवेदन, वांछित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है, तो ठेका संचालन की अवधि दिनांक 31.05.2021 तक जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ायी जा सकेगी। जो अनुज्ञप्तिधारी इस विकल्प का लाभ न लेना चाहे, वे मूल आबकारी नीति वर्ष 2020–21 के अनुसार ठेका संचालित करते रहेंगे। जिन अनुज्ञप्तिधारियों के आवेदन स्वीकार किये जाते है, मात्र उनके लिए इस कंडिका की निम्नलिखित उप कंडिकाऐं लागू होंगी।

70.1 अनुबंध के लिए वार्षिक मूल्य की गणना निम्नानुसार होगी :–

(क) नवीन वार्षिक लायसेंस फीस = वर्तमान वार्षिक लायसेंस फीस – लॉकडाउन अवधि के लिए लायसेंस फीस में दी गई छूट + वर्ष 2021–22 के माह अप्रैल एवं मई हेतु प्रत्येक अतिरिक्त दिवस के आधार पर परिगणित लायसेंस फीस।

(ख) नवीन न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि = वर्तमान न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि – लॉकडाउन अवधि के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि में दी गई छूट + वर्ष 2021–22 के माह अप्रैल एवं मई हेतु वर्ष 2020–21 के माह अप्रैल एवं मई के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि।

70.2 कंडिका 31.1 के अनुसार माह मई 2020 एवं जून 2020 के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राशि, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि के 10 प्रतिशत प्रतिमाह परिगणित होती है। विकल्प चुनने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के लिए माह मई 2020 एवं जून 2020 के लिये यह राशि 7.5

प्रतिशत प्रति माह नियत की जाती है। इस प्रकार शेष रही 5 प्रतिशत न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि की वसूली माह जनवरी 2021 से मई 2021 की अवधि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत अतिरिक्त रुप से की जाएगी।

70.3 नवीन परिगणित वार्षिक लायसेंस फीस तथा वर्तमान वार्षिक लायसेंस फीस के अंतर की राशि दिनांक 31 मार्च 2021 तक अनिवार्य रुप से जमा की जाये।

70.4 नवीन परिगणित प्रतिभूति राशि का न्यूनतम 20 प्रतिशत विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा करना अनिवार्य है। विकल्प प्रस्तुत करने के अंतिम दिवस से 7 कार्य दिवस के भीतर 20% तथा 21 कार्य दिवस के भीतर शेष 60% जमा की जाये।

70.5 विकल्प के साथ निर्धारित शपथ पत्र, पोस्ट डेटेड चैक एवं प्रतिरुप करार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कुल 22 पोस्ट डेटेड चैक (= 18 पूर्व निर्धारित + 4 बढ़ी हुई अवधि के लिए) जमा करना अनिवार्य होगा।

70.6 इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी होने के दिनांक से 05 दिवस की अवधि (अथवा ऐसी अवधि जैसा राज्य शासन नियत करे) में वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों को उपरोक्त विकल्प, यदि वे उचित समझे, चुनना आवश्यक होगा, अन्यथा यह माना जायेगा कि वे पूर्व अनुबंध पर कायम है तथा वर्ष 2020–21 के लिए प्रावधानित आबकारी व्यवस्था (राजपत्र दिनांक 25.02.2020) के अनुरूप मदिरा दुकानों का संचालन करना उनके लिये बंधनकारी होगा।

70.7 मूल आबकारी नीति वर्ष 2020–21 के समस्त सुसंगत प्रावधान, विकल्प चुनने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बढी हुई अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021) में युक्तियुक्त रुप से लागू होंगे।

70.8 यदि संशोधित नीति के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, अथवा आबकारी व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो आबकारी आयुक्त तदनुसार समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।"

7.यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

(राजीव चन्द्र दुबे)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.